



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244045  
CG-DL-E-02032023-244045

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944

No. 916]

NEW DELHI, WEDNESDAY MARCH, 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 मार्च, 2023

का.आ. 953(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का. आ. संख्या 2563(ई) दिनांक 31.07.2020, में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसका, अर्थात्:

i. सारणी 1 के बाद टिप्पणी के बिंदु 1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:-

- नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध और संदेय होगा, अर्थात्:

| सारणी-2                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)                                                          | लम्बाई (किलोमीटर में)<br>जिसके लिए शुल्क संदेय है | दर जिस पर शुल्क संदेय है                                                                                                               |
| झारखंड के रांची जिले में पतराचोली गांव के निकट एनएच-23 के डिजाइन चैनेज के किमी 20.232 पर | 21.850                                            | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. संख्या 2563(ई) दिनांक 31.07.2020 की सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर का |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | 100% |
|--|--|------|

ii. पैरा 9 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा: -

परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 229.69 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी]। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू/आरएनसी/एनएच-23/(पिस-पल/सेमरा)दिनांक 08-06-2022]  
सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2023

**S.O. 953(E).**—In exercise of powers conferred by section 7 of the National highways act, 1956 (48 of 1956), the central government hereby makes following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport And Highways bearing S.O. No. 2563(E), dated 31.07.2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii), namely:

i. Point 1 of notes after Table 1 shall stand revised as under:-

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee plaza for net road length specified for such fee plaza(s) namely:-

| Table 2                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Location of Fee plaza (chainage)                                                               | Length (in Km) for which fee is payable | Rate at which fee is payable                                                                                                                                                   |
| At Km. 20.232 Design chainage of NH-23 near village Patracholi in Ranchi district of Jharkhand | 21.850                                  | 100% of the base rate mentioned in Table 1 of notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 2563(E) dated 31.07.2020 |

ii. Para 9 shall be revised as under:-

The estimated capital cost of the project is Rupees 229.69 crores. [The capital cost is subjected to variation as the activities of the land acquisition, Utility Shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The authority shall maintain the record of the recovery of capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU/RNC/NH-23/(Pis-Pal/Semra)dated 08-06-2022]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.